राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा

पीठासीन अधिकारी – मनीष कुमार जाटव
(आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
83 / 22	31.05.2022	09.12.2024

1. लक्खी सिंह पुत्र श्री फूलसिंह
2. गुलझारी पुत्र श्री फूलसिंह
3. जलेसिंह पुत्र श्री उमराव
4. जोखराम पुत्र श्री फूलसिंह
5. नन्दलाल पुत्र श्री उमराव
6. महेन्द्र पुत्र श्री उमराव
7. मिठ्ठन सिंह पुत्र श्री उमराव
8. लक्ष्मीदेवी पत्नी श्री फूलसिंह जातियान जाट निवासीयान भानौत तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज०

———वादीगण

बनाम

1. भगवती पत्नी श्री मोहनलाल
2. महेश कुमार पुत्र श्री मोहनलाल
3. लक्की कुमार पुत्र श्री मोहनलाल जातियान सिंधी निवासीयान भानौत तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल जयपुर राज०
4. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज०
5. श्रीमान उपपंजीयक महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज०

———प्रतिवादीगण

दावा ईश्तकरारहक दुरूस्ती
इन्द्राज बम्य हु० ई० दवामी

वादीगण ने वाद पत्र इस प्रकार से पेश किया है कि– आराजी खसरा नं० हाल 593 रकबा 0.60 ऐयर वाके ग्राम भानौत तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जिस आराजी का 1/2 भाग जो प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

है। विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न वाद पत्र है। साबिक ख० नं0 331 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा जिसके सम्वत 2029 में नये नम्बर 501 रकबा 2 बीघाा 8 बिस्वा कायम किये हैं तथा हाल सैटलमेन्ट में 501 के 593 रकबा 0.60 ऐयर वाके ग्राम भानौत तहसील मुण्डावर में कायम किये हैं। नकल मिलान क्षेत्रफल संलग्न कर पेश है। उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 के दादा अमरदीनोमल उर्फ अमरचन्द पुत्र सक्खूमल कोम खत्री सिंधी निवासी भानौत तहसील मुण्डावर की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी उक्त आराजी अमरचन्द प्रतिवादीगण सं० 1 लगायत 3 के दादा को अलॉटमेण्ट हुयी थी जिसकी खातेदारी की सनद दिनांक 06.04.1955 को मिल चुकी थी जिसने अपनी उक्त खातेदारी की आराजी को दिनांक 21.06.1971 को जयें बैयनामा वादीगण के बुजुर्ग मृतक उमराव को किया था और वक्त बैयनामा के उमराव काबिज होकर काश्त करता रहा है और उमराव के फौत होने पर मिन वादीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है मौके पर वादीगण काबिज है। प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 के पिता मोहनलाल का कोई संबंध व सरोकार उक्त आराजी से नहीं था ना कभी रहा ना कभी काश्त की तथा मोहनलाल जो अमरचन्द का लड़का था जिसके नाम उक्त आराजी का 1/2 भाग रिकॉर्ड में अमल हो गया था जो सरकारी राजस्व कर्मचारियों से मिलकर प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 के पिता मोहनलाल ने करवाया है और मोहनलाल के फौत होने के बाद विरासत का इंतकाल प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 के नाम दर्ज हुआ है जो गलत अमल है। बिना अधिकार के खिलाफ कानून मौका किया है जो इंतकाल व राजस्व रिकॉर्ड मिन वादीगण के अधिकारों के खिलाफ प्रभाव शून्य है जिसे प्रभाव शून्य घोषित किया जावे। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादी सं० लगायत 3 का कोई संबंध व सरोकार नहीं है ना कभी रहा है लेकिन प्रतिवादी सं० लगायत 3 प्रतिवादी सं० 4 व 5 से साजबाज होकर उक्त आराजी को दीगर जगह रहन बैय मुन्तकिल करने पर उतारू है और अगर प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन वादीगण को अजहद क्षति होगी जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है जिस कारण मिन वादीगण के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है जिनकी रक्षार्थ हेतू दावा इश्तकरारहक दुरुस्ती इन्द्राज पेश करना लाजिम आया है। मिन वादीगण प्रतिवादी सं० लगायत 3 का नाम हजफ कराकर राजस्व रिकॉर्ड में उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। उक्त वाद में विवादित आराजी की बाबत मिन वादीगण कई बार प्रतिवादीगण से उक्त वैयनामा दिनांक 21.06.1971 के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल खातेदारी करने बाबत कहा तो पहले तो प्रतिवादीगण आश्वासन देते रहे लेकिन दिनांक 13.05.2022 को प्रतिवादीगण ने स्पस्ट मना कर दिया कि हम रिकॉर्ड में खातेदारी नहीं दर्ज कर सकते तथा प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 ने भी स्पस्ट धमकी दी है कि हम आराजी को बेचान करेंगे बस यही तारीख बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा पेश करना लाजिम आया है। यह करार दिया जावे कि आराजी ख० न० हाल 593 रकबा 0.60 ऐयर वाके ग्राम भानौत तहसील मुण्डावर में स्थित आराजी का 1/2 भाग जो प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है हजफ किया जावे तथा वादीगण को 1/2 भाग पर समभाग मे खातेदारी दर्ज की जावे। खातेदार घोषित किया जावे। यह करार दिया जावे कि विवादित आराजी बाबत जो गलत अमल राजस्व रिकॉर्ड मे अमल किया है इतंकाल दर्ज हुआ है मिन वादीगण के खिलाफ प्रभाव शून्य घोषित किया जावे। यह करार दिया जावे कि प्रतिवादीगण को हु० ई० दवामी से पांबद किया जावे कि उक्त आराजी खं० न० हाल 593 रकबा 0.60 ऐयर वाके ग्राम भानौत तहसील मुण्डावर में स्थित आराजी को प्रतिवादीगण दीगर जगह रहन बैय मुन्तकिल ना करें। रिकॉर्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखें। आदेश दिये जावें।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (कैम्प-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

वाद पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को द्वारा सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 01 ल0 03 बावजूद विधिवत तलबी के अनुपस्थित रहे जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी सं0 03 की ओर से पैरोकार सरकार ने जबाब पेश किया।

वादी ने अपने वाद के समर्थन मे नकल जमाबन्दी संवत 2069–73 नकल जमाबन्दी 2010 से 2012, नकल मिलान क्षेत्रफल , स्वयं का शपथ पत्र , राजस्थान पत्रिका अखबार स्याह की प्रति , नोटिस स्याह , असल बयनामा आदि पेश किये गये। तथा अपने वाद के समर्थन में लक्खी सिंह , मिठ्ठन सिंह व दयाराम के साक्ष्य कराये हैं। तथा आमजन के सूचनार्थ राष्ट्रीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में अखबार साया कराकर अखबार की प्रति पेश की है।

वकील वादी की बहस सुनी। पत्रावली का अध्ययन किया। वादी वकील का कथन है कि उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 के दादा अमरदीनोमल उर्फ अमरचन्द पुत्र सक्यूमल कोम खत्री सिंधी निवासी भानौत तहसील मुण्डावर की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी उक्त आराजी अमरचन्द प्रतिवादीगण सं० 1 लगायत 3 के दादा को अलॉटमेण्ट हुयी थी जिसकी खातेदारी की सनद दिनांक 06.04.1955 को मिल चुकी थी जिसने अपनी उक्त खातेदारी की आराजी को दिनांक 21.06.1971 को जयें बैयनामा वादीगण के बुजुर्ग मृतक उमराव को किया था और वक्त वैयनामा के उमराव काबिज होकर काश्त करता रहा है और उमराव के फौत होने पर मिन वादीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं मौके पर वादीगण काबिज हैं। प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 व लगायत 3 के पिता मोहनलाल का कोई संबंध व सरोकार उक्त आराजी से नहीं था ना कभी रहा ना कभी काश्त की तथा मोहनलाल जो अमरचन्द का लड़का था जिसके नाम उक्त आराजी का 1/2 भाग रिकॉर्ड में अमल हो गया था जो सरकारी राजस्व कर्मचारियों से मिलकर प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 के पिता मोहनलाल ने करवाया है और मोहनलाल के फौत होने के बाद विरासत का इंतकाल प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 के नाम दर्ज हुआ है जो गलत अमल है बिना अधिकार के खिलाफ कानून व मौका किया है जो इंतकाल व राजस्व रिकॉर्ड मिन वादीगण के अधिकारों के खिलाफ प्रभाव शून्य है जिसे प्रभाव शून्य घोषित किया जावे। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादी सं० 01 लगायत 03 का कोई संबंध व सरोकार नहीं है ना कभी रहा है ।

हमने विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात एवं बयान गवाहान का अवलोकन किया जिस पर पाया कि विवादित आराजी प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 के दादा अमरदीनोमल उर्फ अमरचन्द पुत्र सक्खूमल कोम खत्री सिंधी निवासी भानौत तहसील मुण्डावर की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी उक्त आराजी अमरचन्द प्रतिवादीगण सं० 1 लगायत 3 के दादा को अलॉटमेण्ट हुयी थी जिसकी खातेदारी की सनद दिनांक 06.04.1955 को मिल चुकी थी जिसने अपनी उक्त खातेदारी की आराजी को दिनांक 21.06.1971 को जर्ये बैयनामा वादीगण के बुजुर्ग मृतक उमराव को किया था।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

सैटलमेंट के द्वौरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बरान पैमूद करते समय खिलाफ मौका व खिलाफ कानून वादी के नाम का अंकन को हजफ कर दिया तथा प्रतिवादी के पिता के नाम दर्ज कर दिया तथा प्रतिवादीगण के पिता के फौत होने पर आराजी जरिये विरासत प्रतिवादीगण को प्राप्त हो गयी तथा राजस्व रिकॉड में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गया, जो गलत अंकन ता:हाल चला आ रहा है, जबकी वादी अपने पिता से जरिये बयनामा के विरास्त प्राप्त होनी चाहिये थी। जिससे वादी समस्त हक हकूक जायल हो रहे हैं। इस प्रकार वाद वादी के पक्ष मे डिक्री किया जाना न्याय संगत है।

// आदेश //

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि आराजी खसरा नम्बर हाल 593 रकबा 0.60 हैक0 वाके ग्राम भानौत तहसील मुण्डावर में स्थित आराजी का 1/2 भाग जो प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है को हजफ किया जाकर वादीगण को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी कदर हाल राजस्व रिर्कोड दुरूस्त किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 09.12.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(मनीष कुमार जादव)
(R.A.S.)
सहायक कलक्टर मुण्डावर
जिला खैरथल – तिजारा

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा

पीठासीन अधिकारी – मनीष कुमार जाटव

(आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
83 / 22	31.05.2022	09.12.2024

1. लक्खी सिंह पुत्र श्री फूलसिंह
2. गुलझारी पुत्र श्री फूलसिंह
3. जलेसिंह पुत्र श्री उमराव
4. जोखराम पुत्र श्री फूलसिंह
5. नन्दलाल पुत्र श्री उमराव
6. महेन्द्र पुत्र श्री उमराव
7. मिठ्ठन सिंह पुत्र श्री उमराव
8. लक्ष्मीदेवी पत्नी श्री फूलसिंह जातियान जाट निवासीयान भानौत तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज०

–––वादीगण

बनाम

1. भगवती पत्नी श्री मोहनलाल
2. महेश कुमार पुत्र श्री मोहनलाल
3. लक्की कुमार पुत्र श्री मोहनलाल जातियान सिंधी निवासीयान भानौत तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल जयपुर राज०
4. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज०
5. श्रीमान उपपंजीयक महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज०

–––प्रतिवादीगण

दावा ईश्तकरारहक दुरूस्ती

इन्द्राज बम्य हु० ई० दवामी

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)

मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

// पर्चा डिक्री //

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि आराजी खसरा नम्बर हाल 593 रकबा 0.60 हैक्0 वाके ग्राम भानौत तहसील मुण्डावर में स्थित आराजी का 1/2 भाग जो प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है को हजफ किया जाकर वादीगण को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी कदर हाल राजस्व रिकोंड दुरूस्त किया जावे।

आज दिनांक 09.12.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई जाकर न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(मनीष कुमार जाटव)
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा

Scanned with OKEN Scanner

सहायक कलक्टर (फा०ट०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

09-12-24

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित हैं। आज इस प्रकरण के संबंधित मूल वाद डिक्री किया गया है। अतः इस पत्रावली में कार्यवाही इसी स्टेज पर बंद की जाकर प्रकरण DDP किया जाता है। पत्रावली के सहज रूप रिकॉर्ड नम्बर से कम होवे बाद तकमील दाखिल दफ्तर रहे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फा०ट०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)